तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 335/2019 अनवान भीखाराम बनाम करनाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
17/09/19	**निर्णय** प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे उसे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि मौजा रामसर का कुआ पटवार क्षैत्र बेरिवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 984/793 रकबा 47.16 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, जो अप्रार्थी संख्या 01 के बंट में उसके पिता नाथाराम की मृत्यु पर प्राप्त हुई है। वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थी के दादा तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पिता नाथाराम के नाम उक्त भूमि दर्ज हुई थी। उक्त पैतृक भूमि में प्रार्थी का जन्म से हिस्सा निहित है। प्रार्थी का उसके 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त भूमि का हस्तान्तरण अन्य को करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 उसमे सफल होता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न्यायिक प्रकरणों की संख्या में भी अनावश्यक वृद्धि होगी। लिहाजा प्रार्थी इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्राप्त करने का अधिकारी है कि मौजा रामसर का कुआ के खसरा संख्या 984/793 रकबा 47.16 बीघा भूमि में वादी के 1/3 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार का हस्तान्तरण नही करे तथा कब्जा काश्त में हस्ताक्षेप नही करे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात यथा खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी का सम्वत् 2012 से 2031 का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 06 के अनुसार पोत्र	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 335/2019 अनवान भीखाराम बनाम करनाराम	नम्बर ... अहकाम ... हुकम को ... मे जारी हुए

का सहदायिकी अर्थात पैतृक भूमि में जन्म से ही हिस्सा निहित है। प्रस्तुत वंश वृक्षावली के अनुसार प्रार्थी पूर्व पुरूष नाथाराम का पोत्र तथा कंवराराम का पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में उसका 1/3 हिस्सा जन्म से निहित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के उक्त पैतृक भूमि का अन्तरण होता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा रामसर का कुआ पटवार क्षैत्र बेरिवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 984/793 रकबा 47.16 बीघा भूमि में प्रार्थी के 1/3 हिस्सा तक की भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 रहन, बय, हस्तान्तरण न करे। अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.9.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner